न्यायालय,जिला दण्डाधिकारी,अररिया

वाद संख्या-83/2021

अंदर धारा बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम,1981 की धारा-3

सरकार

बनाम

मो0 रईश अहमद, पे0-तजमुल, सा0-फरासुत, वार्ड नं0-02, थाना-अररिया (बैरगाछी), जिला-अररिया

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
22.10.2021	इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 441/डी0सी0बी0, दिनांक 15.10.2021) के साथ संलग्न अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अररिया के प्रस्ताव (पत्रांक 4217/उपा0, दिनांक 12.10.2021) के आधार पर मो0 रईश अहमद, पे0-तजमुल, सा0-फरासुत, वार्ड नं0-02, थाना-अररिया(बैरगाछी), जिला-अररिया के विरूद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा-3 के अंतर्गत कार्रवाई करने हेतु प्रारम्भ की गई। मो0 रईश अहमद का आपराधिक इतिहास निम्न प्रकार है :- 1. अररिया(बैरगाछी ओ0पी0) थाना कांड सं0-203/06, दिनांक-05.05.06, धारा-376/504/506/201 भा0द0वि0 समर्पित। आरोप पत्र सं0-40/06, दिनांक-30.07.06 2. अररिया(बैरगाछी ओ0पी0) थाना कांड सं0-261/06, दिनांक-31.05.06, धारा-147/148/504/323/324/307/379/34 भा0द0वि0 समर्पित। आरोप-पत्र सं0-66/10, दिनांक-30.01.10 3. अररिया(बैरगाछी ओ0पी0) थाना कांड सं0-09/09, दिनांक-01.06.09, धारा-419/420/406/409/34 भा0द0वि0 समर्पित। आरोप पत्र संख्या-635/11, दिनांक-21.10.2011 4. अररिया(बैरगाछी ओ0पी0) थाना कांड सं0-426/09, दिनांक-18.09.09, धारा-341/323/354/379/504/506/34 भा0द0वि0 समर्पित। आरोप पत्र संख्या-100/10, दिनांक-31.01.10 5. अररिया(बैरगाछी ओ0पी0) थाना कांड सं0-124/11, दिनांक-16.03.11, धारा-323/307/379/406/420/34 भा0द0वि0 एवं 3(i)(X) अनु0जाति/जनजाति अधिनियम अंतिम प्रतिवेदन सं0-572/11, दिनांक-30.09.11 6. अररिया(बैरगाछी ओ0पी0) थाना कांड सं0-449/16, दिनांक-12.07.16, धारा-147/341/323/379/504/506/34 भा0द0वि0 समर्पित। आरोप पत्र संख्या-86/16, दिनांक-31.11.2016 7. अररिया(बैरगाछी ओ0पी0) थाना कांड सं0-532/16, दिनांक-16.08.16, धारा-341/323/379/504/506 भा0द0वि0 समर्पित। आरोप पत्र संख्या-59/16, दिनांक-26.05.2016 8. अररिया(बैरगाछी ओ0पी0) थाना कांड सं0-437/16, दिनांक-17.07.16, धारा-147/149/ 341/323/354बी0/379/385/506/504 भा0द0वि0 समर्पित। आरोप पत्र संख्या-91/18, दिनांक-30.07.18 9. अररिया(बैरगाछी ओ0पी0) थाना कांड सं0-279/16, दिनांक-18.05.16, धारा-147/148/149/342/323/324/307/332/333/337/338/353/427 भा0द0वि0 एवं 27 शस्त्र अधिनियम समर्पित आरोप-पत्र संख्या-44/16, दिनांक-25.08.16 10. अररिया (बैरगाछी ओ0पी0) थाना सनहा सं0-136/21, दिनांक-06.09.21	

1010

22.10.2021

अररिया जिला में बिहार पंचायत चुनाव, 2021 में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने/लोक व्यवस्था/विधि व्यवस्था/सुरक्षा का वातावरण एवं आमलोगों को प्रशासन के प्रति विश्वास कायम रखने के लिए अपराधकर्मी मो0 रईश अहमद, पे0-तजमुल, सा0-फरासुत, वार्ड नं0-02, थाना-अररिया(बैरगाछी), जिला-अररिया के विरूद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम,1981 की धारा-3 अंतर्गत कार्रवाई करने की अनुशंसा पुलिस अधीक्षक, अररिया द्वारा की गयी है।

उक्त के आलोक में आरोपी/अपराधकर्मी मो0 रईश अहमद को अपना पक्ष रखने हेतु एवं आरोपों के संबंध में कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत की गयी। विपक्षी-मो0 रईश अहमद की ओर से हाजिरी दी गई एवं जवाब दाखिल किया गया। न्यायालय में उपस्थित विपक्षी-मो0 रईश अहमद को सुना।

विपक्षी का मुख्य कथन है कि विपक्षी राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति है, जो वर्ष, 2006 में अररिया बस्ती पंचायत में मुखिया पद में निर्वाचित हुए तथा पुनः वर्ष 2016 के चुनाव में भी मुखिया पद में निर्वाचित हुए। विपक्षी के विरूद्ध श्रीमान् के ज्ञापांक-2354, दिनांक-18.10.2021 के द्वारा वाद सं0-03/2021 का सम्मन में भी वाद सं0 वर्णित है वो सभी वाद वर्ष, 2016 का या उसके पूर्व का है, तथा वर्ष, 2016 के वाद कोई वाद किसी थाने या किसी न्यायालय में विपक्षी के विरूद्ध दर्ज नहीं हुआ है। विपक्षी के विरूद्ध भी वाद पंजीकृत हुआ है, जो श्रीमान् द्वारा निर्गत सम्मन में वर्णित है। सभी वाद सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक द्वेष के कारण प्रतिद्वन्दी एवं उनके सहयोगी द्वारा षडयंत्र रचकर विपक्षी के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया है, जिसमें विपक्षी न्यायालय द्वारा जमानत पर है। विपक्षी एक गरीब, ईमानदार व्यक्ति है, जो हमेशा कानुन का पालन करते है तथा न्याय का सम्मान करता है। विपक्षी अपराधिक छवि वाले व्यक्ति नहीं है और ना हीं अशांति फैलाने का प्रयास करता है, ना तो पूर्व में ही किया है तथा भविष्य मे भी नहीं करेगा, ना भय का माहौल उत्पन्न करेगा। उनकी प्रार्थना है कि उपरोक्त वाद में विपक्षी द्वारा दाखिल कारण-पृच्छा को स्वीकृत करते हुए विपक्षी के विरूद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा-3(3) के अन्तर्गत किसी भी प्रकार आदेश पारित नहीं करने की कृपा की जाय।

विपक्षी के कथनों एवं तर्को तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा समर्पित प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त तथा उपरोक्त घटनाओं के विवेचनोपरांत आपराधिक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर मैं प्रशांत कुमार सी0एच0, जिला दण्डाधिकारी,अररिया संतुष्ट हूँ कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम-1981 की धारा-2(डी)(i) के अन्तर्गत ये **"असामाजिक तत्व"** हैं तथा इनकी गतिविधि एवं कार्य आम जनता के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। ऐसे तथ्य उपलब्ध हैं, जिससे विश्वास होता है कि ये ऐसे कार्य में लिप्त हैं या लिप्त हो सकते हैं, जो भारतीय दंड विधान-1860 के अध्याय XVI या अध्याय XVII के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है, जिन पर नियंत्रण करना प्रशासनिक एवं जनहित में नितांत आवश्यक है। जिस कारण बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 3 के तहत निरूद्धादेश जारी करते हुए आदेश देता हूँ कि **मो0 रईश अहमद दिनांक-23.10.2021 के पूर्वाह्न से दिनांक-29.10.2021 के पूर्वाह्न तक सप्ताह में तीन दिन (रविवार, मंगलवार एवं बुधवार) फारबिसगंज थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे** तथा **थानाध्यक्ष, फारबिसगंज** के समक्ष अपना बंधपत्र इस आशय का निष्पादित करना सुनिश्चित करेंगे कि बिहार पंचायत चुनाव, 2021 के अवसर पर उनके द्वारा किसी प्रकार की गड़बड़ी/अशांति नहीं फैलायी जायेगी एवं न हीं किसी भी मतदाता को दुष्प्रेरित करने का प्रयास किया जायेगा। साथ ही लिखित में यह भी बतायेंगे कि मतदान की तिथि को कितने बजे किस रास्ते से घर से मतदान केन्द्र तक जायेंगे एवं किस

रास्ते से मतदान केन्द्र से घर आयेंगे। साथ ही मतगणना की तिथि को कितने बजे किस रास्ते से घर से मतगणना केन्द्र तक जायेंगे एवं किस रास्ते से मतगणना केन्द्र से घर आयेंगे।

उक्त आदेश का संबंधित थानाध्यक्ष अपने स्तर से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे तथा संबंधित अपराधकर्मी के गतिविधि पर कड़ी नजर रखेंगे। साथ ही अपराधकर्मी की उपस्थिति संबंधी सूचना प्रत्येक उपस्थिति के पश्चात पुलिस अधीक्षक,अररिया एवं अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

आदेश की प्रति जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी,अररिया को भी आम जनता में प्रचार प्रचार हेतु भेजें एवं एक प्रति जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी,अररिया को जिला के बेबसाईट पर प्रकाशनार्थ भेजें।

लेखापित एवं. संशोधित,

जिला दण्डाधिकारी,
अररिया

जिला दण्डाधिकारी
अररिया

ज्ञापांक 2382 / विधि, दिनांक 22/10/2021

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि संबंधित थानाध्यक्षों को आदेश का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से निदेश देने का कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि अपने स्तर से जनता में प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, अररिया बैरगाछी ओ0पी0 एवं थानाध्यक्ष, फारबिसगंज को अनुपालन हेतु प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी
अररिया

ज्ञापांक 2382 / विधि, दिनांक 22/10/2021

प्रतिलिपि : श्री मो0 रईश अहमद, पे0-तजमुल, सा0-फरासुत, वार्ड नं0-02, थाना-अररिया(बैरगाछी), जिला-अररिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी
अररिया।

न्यायालय, जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता, अररिया (बिहार)